

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2015—कार्तिक 22, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 1(बी) 85-14-बी-4-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2015 द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से चयनित डॉ. शर्मिला जैन द्वारा श्री महावीर प्रसाद जैन, भवन क्रं. 6811, वार्ड क्रं. 20, गंगा पब्लिक स्कूल के पास, सब्जीमंडी रोड, दत्तपुरा, मुरैना, म. प्र.-476001 की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में की गई हैं. उक्त आदेश की कंडिका-2 के अनुसार डॉ. शर्मिला जैन को नियुक्ति आदेश

प्राप्ति की 15 दिवस की अवधि में पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है.

(2) इस विभाग के आदेश क्रं. एफ 1(बी) 83-14-बी-4-दो, दिनांक 22 मई 2015 द्वारा डॉ. शर्मिला जैन को कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपर्युक्तानुसार निर्धारित समय-सीमा 15 दिवस के स्थान पर दिनांक 30 जून 2015 तक कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई. साथ ही इस विभाग के एफ 1(बी)83-14-बी-4-दो, दिनांक 16 जुलाई 2015 द्वारा इनकी कार्यभार ग्रहण अवधि में अंतिम रूप से दिनांक 31 जुलाई 2015 तक की वृद्धि की जाकर यह निर्देशित किया गया कि दिनांक 31 जुलाई 2015 तक पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण न किये जाने की दशा में इनके विरुद्ध एक

पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लेते हुये राज्य शासन द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर इनकी नियुक्ति संबंधी दावा समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी.

(3) पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रं. अअवि-एफएसएल-806-15, दिनांक 7 अक्टूबर 2015 के अनुसार डॉ. शर्मिला जैन द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर नियुक्ति उपरांत राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है.

(4) अतः, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्रं. 13143-44-13-चयन, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 द्वारा इस विभाग को वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स. क्र.-5 (अनुक्रमांक 102069) में उल्लेखित डॉ. शर्मिला जैन की वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर नियुक्ति के संबंध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2015 को निरस्त किया जाकर उक्त पद पर डॉ. शर्मिला जैन के नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 1(बी) 84-14-बी-4-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2015 द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र) के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से चयनित श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित, शासकीय पॉलिटेक्नीक महाविद्यालय, राघौगढ़, ए.बी. रोड, पगारा के पास, राघौगढ़ जिला गुना-473226 की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में की गई हैं. उक्त आदेश की कंडिका-2 के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित को नियुक्ति आदेश प्राप्त की 15 दिवस की अवधि में पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है.

(2) इस विभाग के आदेश क्र. एफ 1(बी) 83-14-बी-4-दो, दिनांक 22 मई 2015 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित को कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपर्युक्तानुसार निर्धारित समय-सीमा 15 दिवस के स्थान पर दिनांक 30 जून 2015 तक कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई.

(3) पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रं. अअवि-एफएसएल-806-15, दिनांक 7 अक्टूबर 2015 के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र) के पद पर नियुक्ति उपरांत राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है.

(4) अतः, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्रं. 13144-44-13-चयन, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 द्वारा इस विभाग को वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र) के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स. क्र.-21 (अनुक्रमांक 103007) में उल्लेखित श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित की वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र) के पद पर नियुक्ति के संबंध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2015 को निरस्त किया जाकर उक्त पद पर श्री राजेन्द्र कुमार दीक्षित के नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2015

क्र. एफ 1(ए) 399-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री सी. व्ही. मुनिराजू भा. पु. से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 से 16 अक्टूबर 2015 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17-18 अक्टूबर 2015 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एन्टी नक्सलाईट ऑपरेशन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. व्ही. मुनिराजू भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए) 195-91-ब-2-दो.—श्री विजय कटारिया, भा. पु. से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल को दिनांक 16 से 20 नवम्बर 2015 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 14-15 पूर्ववर्ती एवं 21-22 नवम्बर 2015 के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2015

फा. क्र. 17 (ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-1712-015-शुद्धि-पत्र.—राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-1209-015 दिनांक 13 मई 2015 के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 22 मई, 2015 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करता है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में सारणी में,—

1. “अनुक्रमांक 26 पर, कॉलम (4) में, अंक तथा अक्षर शब्द “26-ए 27 और 28 के स्थान पर अंक तथा अक्षर” 26-ए, 27, 28 और 28-ए स्थापित किये जाएं.
2. तथा अनुक्रमांक 102 पर कॉलम (4) में शब्द “सिविल जिला सिंगरौली का समस्त विद्युत् क्षेत्र,” के पश्चात् शब्द, अंक, कोष्ठक तथा अक्षर (अनुक्रमांक 102-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)” जोड़े जाएं.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)1712-015-**Corrigendum.**—The State Government, hereby issue following Corrigendum in respect of this department's Notification No. 17 (E), 83-03-XXI-B(1)-1209-015, dated 13th May 2015, which was published in the Madhya Pradesh Gazette part-i dated 22nd May, 2015, namely:—

In the said Notification, in the table :—

1. At serial number 26, in column (4), for the figure and letter "26-A, 27 and 28" the word, figure and letter, "26-A, 27, 28 and 28-A" shall be substituted.
2. At serial number 102, in column (4), after the words "All Electricity area of Civil District Singrauli", the words, figure, bracket and letter "(excluding the territorial jurisdiction of Special Court given

at serial number 102-A)" shall be added.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 9-1-2009-ब-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, (1948, 34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मेसर्स जे. पी. रीवा प्लांट यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसो.लिमि.जे.पी.नगर, रीवा, मध्यप्रदेश को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2016 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि आवेदित संस्था द्वारा राजीव गांधी बेरोजगार भत्ता तथा पुनर्वास भत्ता जोड़ने तथा हितलाभ किसी भी स्थिति में कर्मचारी राज्य बीमा सेवार्थें से कम नहीं होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिलिन्द गणवीर, अपर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 11-42-2015-बी-ग्यारह.—उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की कंडिका क्रमांक 14.4 के संदर्भ में जारी विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ-20-1-2010-बी-ग्यारह, भोपाल-दिनांक 4 जनवरी 2011 से जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 की कंडिका क्रमांक 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन औद्योगिक क्षेत्र एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:—

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल एकड़
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नवीन औद्योगिक क्षेत्र, नमकीन क्लस्टर, इन्दौर.	इन्दौर	12.71

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शालिनी सिन्हा, अवर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 20 अक्टूबर 2015

प्र. क्र. 04-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में घोघरा मध्यम परियोजना तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची

ग्राम:—इटारसी

तहसील:—नसरुल्लागंज

गोपालपुर वितरिका की इटारसी उपनहर

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सावित्रीबाई बेवा बाबूसिंह, जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.	16,19/5/7/2	0.000	4.047	4.047	0.000	0.183	0.183
2	भगवान सिंह आ. प्रहलाद, जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.	16, 19/5/1/1/1क	2.023	0.000	2.023	0.107	0.000	0.107
3	वेनीसिंह आ. गजराजसिंह, जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.	16, 19/5/6	4.047	0.000	4.047	0.165	0.000	0.165
4	वीरेन्द्रसिंह आ. शेरसिंह, जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.	9/2	2.023	0.000	2.023	0.151	0.000	0.151
5	कोकिला पत्नि शेरसिंह, जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.	9/1	2.817	0.000	2.817	0.105	0.000	0.105
6	शम्भूसिंह आ. कुवेरसिंह, जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.	8/2क	1.635	0.000	1.635	0.140	0.000	0.140
7	अचलसिंह आ. कुवेरसिंह, जाति ठाकुर, नि. ग्राम भू-स्वामी.	8/2ख	1.635	0.000	1.635	0.080	0.000	0.080
8	भगवतीबाई पत्नि अमरसिंह, जाति राजपूत, नि. ग्राम भू-स्वामी.	12/1/4	2.023	0.000	2.023	0.067	0.000	0.067
योग			16.203	4.047	20.250	0.815	0.183	0.998

- (1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू. अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- (3) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश—

घोघरा सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है। अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है।

प्र. क्र. 07-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि कोलार परियोजना तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहरों के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची

ग्राम:—तिलाडिया

तहसील:—नसरुल्लागंज

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	राला टेल माइनर भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	भंवरसिंह आ. जाति राजपूत, सा. देह भू-स्वामी.	आधारसिंह, 95/2/3	2.225	0.000	2.225	0.162	0.000	0.162
योग . . . 01			2.225	0.000	2.225	0.162	0.000	0.162

- (1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यापालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू. अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- (3) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश—

कोलार परियोजना की राला टेल नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है। अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है।

प्र. क्र. 13-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना तहसील नसरुल्लागंज जिला सीहोर की नहर के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण निम्न अनुसूची में उल्लेखित

है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची

ग्राम:—रानीपुरा

तहसील:—नसरुल्लागंज

छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना (आर.बी. सी. नहर)

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा			
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	रामप्यारीबाई पति बलराम जाट, नि. बगबाड़ा.	132/27/1/5/2 132/27/2	2.000	0.023	2.023	0.065	0.000	0.065	
2	गजराज आ. रामप्रसाद, जाति चमार.	132/27/1/5/1 132/27/2/5/1	3.900	0.059	3.959	0.162	0.000	0.162	
3	लीलाबाई पति हरिराम, जाति चमार.	132/27/1/6/2/1 132/27/2	1.400	0.057	1.457	0.069	0.000	0.069	
4	सुशीलाबाई पति जगन्नाथ, जाति चमार.	132/27/1/6/2/2 132/27/2	1.000	0.012	1.012	0.040	0.000	0.040	
5	किरणबाई पुत्री जगन्नाथ, जाति चमार.	132/27/1/6/1 132/27/2	1.000	0.012	1.012	0.121	0.000	0.121	
6	राजपालसिंह आ. जोरावरसिंह, जाति, राजपूत, नि. छीपानेर.	28/1/3	7.000	0.024	7.024	0.089	0.000	0.089	
7	जितेन्द्रसिंह आ. रूपसिंह, मानकुंवर बेवा रूपसिंह, जाति राजपूत, नि. छीपानेर.	28/1/2	7.000	0.024	7.024	0.162	0.000	0.162	
8	सुबेरसिंह छतरसिंह आ. मांगीलाल, जाति काछी, नि. चौरसाखेड़ी.	28/1/1	4.800	0.056	4.856	0.089	0.000	0.089	
9	राधेश्याम आ. मोतीलाल, जाति बलाई, सा. देह.	28/2/2/2	1.000	0.012	1.012	0.061	0.000	0.061	
10	मोतीराम आ. राजाराम, जाति बलाई, सा. देह.	28/2/2/3	1.100	0.029	1.129	0.077	0.000	0.077	
11	रामप्रसाद आ. मोतीराम, जाति बलाई, सा. देह.	28/2/2/4	1.012	0.000	1.012	0.073	0.000	0.073	
12	सुनील कुमार दत्तकपुत्र राधेश्याम, जाति सुतार, नि. छीपानेर.	47, 48, 49/1/1 47, 48, 49/3	1.800 1.700	0.021 0.024	1.821 1.724	0.024 0.113	0.000 0.000	0.024 0.113	
13	हरिशंकर आ. काशीराम, जाति सुतार, नि. छीपानेर.	47, 48, 49/2	1.700	0.024	1.724	0.113	0.000	0.113	
			योग	.36.412	0.377	36.789	1.258	0.000	1.258

- (1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन विभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भू. अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- (3) समुचित सरकार की वेबसाइट www.sehore.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सारांश—

छीपानेर उ. सिं. यो. सिंचाई परियोजना की नहर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है। अतः धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का सारांश निरंक है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़ (ब्यावरा), दिनांक 4 नवम्बर 2015

क्र. 7751-52-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्र. क्र. 20-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पाड़लियाखेड़ी तालाब तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रसूलपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पाड़लियाखेड़ी तालाब का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची (1)

पाड़लियाखेड़ी तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि

तहसील:—राजगढ़

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रसूलपुरा	0.297	0.000	0.297
कुल योग		0.297	0.000	0.297

अनुसूची (2)

पाड़लियाखेड़ी तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:—ग्राम रसूलपुरा

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में.)	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नाथूलाल पिता मांगीलाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम भू-स्वामी.	551/2	0.367	0.195	0.000	0.195
		552	0.215	0.102	0.000	0.102
		2	0.582	0.297	0.000	0.297
		ग्राम रसूलपुरा का महायोग . .	2	0.582	0.297	0.000

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7753-54-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. 25-ए-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में मोतीपुराखाती तालाब के वेस्टवियर एवं डूब में प्रभावित भूमि तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की योजनान्तर्गत ग्राम मोतीपुराखाती के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—मोतीपुराखाती तहसील राजगढ़

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा		
		सिंचित	असिंचित	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	0.776	1.084	1.860
कुल योग . .		0.776	1.084	1.860

(मोतीपुराखाती तालाब के वेस्टवियर एवं डूब में प्रभावित भूमि)

ग्राम मोतीपुराखाती तहसील राजगढ़, जिला—राजगढ़ म. प्र.

अनुसूची (2)

मोतीपुराखाती तालाब के वेस्टवियर एवं डूब में प्रभावित निजी भूमि का विवरण

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा (हे. में.)	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	धूलजी पिता मेहताब, सोदारबाई बेवा रामचन्द्र, मनोहरबाई, मंजूबाई, संजूबाई पिता रामचन्द्र, जाति खाती, नि. ग्रा. भू-स्वामी.	133	1.670	0.000	0.152	0.152

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	रोड़सिंह, राधेश्याम, घीसीबाई, गीताबाई पिता रामचन्द्र, जाति खाती, नि. ग्रा. भू-स्वामी.	96	0.911	0.000	0.327	0.327
3	मदनलाल, रामप्रसाद, आ. गंगाधर, जमनीबाई विधवा गंगाधर, जाति खाती, नि. ग्रा. भू-स्वामी.	131	1.670	0.000	0.253	0.253
4	बापूलाल, गेंदालाल, मोतीलाल, रमेश, लीलाबाई, बदामबाई, उर्मिलाबाई पिता अमरलाल, धापूबाई बेवा अमरलाल, जाति चमार, नि. ग्रा. भू-स्वामी.	1/1/12	1.368	0.000	0.352	0.352
5	रामदयाल आ. मदनलाल, जाति खाती, नि. ग्रा. भू-स्वामी.	1/1/2	0.924	0.676	0.000	0.676
6	चन्द्रकंलाबाई पति छोटूलाल, जाति गुर्जर, नि. ग्रा. भू-स्वामी.	97/1	0.159	0.100	0.000	0.100
कुल योग . .				0.776	1.084	1.860

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़, के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला—हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 1 अक्टूबर 2015

क्र. 1389-मण्डी-स्था.नि.-2015.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर, हरदा, मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत हरदा जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र.	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम एवं पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
01	कृषि उपज मंडी समिति हरदा.	श्री आनंद पटेल पिता श्री फत्तुलाल पटेल, नि. ग्राम सोनतलाई, तह. हंडिया, जिला-हरदा.	11(1)(घ)

क्र. 1391-मण्डी-स्था.नि.-2015.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर, हरदा, मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (ज) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (जिला

सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत हरदा जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

क्र. (1)	मण्डी का नाम (2)	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
01	कृषि उपज मंडी समिति, हरदा.	श्रीमति सुशीला बाई, संचालक, निवास मुकाम पोस्ट वार्ड नम्बर 17, पाठक कालोनी, भैरोबाबा चौक हरदा, जिला हरदा.	11(1)(ज)
02	कृषि उपज मंडी समिति टिमरनी.	श्री संतोष पाटिल, अध्यक्ष, निवास मुकाम पोस्ट पोखरनी तह.-टिमरनी, जिला-हरदा.	11(1)(ज)

हरदा, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

क्र. 1412-स्था.नि.-2015.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर, हरदा, मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (ज) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा सदस्य को मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम-निर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत जिला हरदा की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

स. क्र. (1)	कृषि उपज मंडी समिति का नाम (2)	प्रस्तावित पंचायत प्रतिनिधि का नाम एवं पदनाम (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
01	कृषि उपज मंडी समिति, हरदा	श्रीमती सुगनाबाई/रमेश चंद	11(1) (ज)
02	कृषि उपज मंडी समिति, टिमरनी	श्री कमल, सरपंच ग्राम पंचायत अहलवाड़ा	11(1) (ज)
03	कृषि उपज मंडी समिति, खिरकिया	श्री सुदीप पटेल, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत, खिरकिया	11(1) (ज)
04	कृषि उपज मंडी समिति, सिराली	श्री जगदीश सोलंकी, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, खिरकिया	11(1) (ज)

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी जिला—विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 19 अक्टूबर 2015

क्र. क्यू-एपीडी-2015-11695.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), जिला विदिशा, कृषि उपज मण्डी समिति लटेरी में निम्नानुसार प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

क्र. (1)	निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता (2)	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किया गया है (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
01	श्रीमती साधना जैन पत्नि श्री सुरेश कुमार जैन, नि. ग्राम मुरवास, तह. लटेरी. (संस्था के संचालक मण्डल की सदस्य).	विपणन सहकारी संस्था मर्यादित लटेरी, जिला विदिशा (म. प्र.).	1972 की धारा 11 (05)

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
मानव संसाधन विकास, प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल
विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-10-1-2015-एक-9, दिनांक 27 मार्च 2015 के परिप्रेक्ष्य में, सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा दिनांक 26 अगस्त 2015 को प्रथम-वन विधि (सहायक वन संरक्षक), दिनांक 28 अगस्त 2015 को तृतीय-सामान्य विधि (वनक्षेत्रपाल) विषयों पर सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	विषय (4)
भोपाल संभाग			
1	श्री एन. के. व्यास	उप संभागीय प्रबंधक	प्रथम-वन विधि
2	कु. सुचिन्ना मेशराम	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
3	श्री शिव कुमार अवस्थी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
4	कु. प्रीति परमार	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
5	श्री राजू सिंह राजपूत	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि
6	श्री सुरेश कुमार सोनवंशी	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
7	श्री अरविन्द चौहान	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
8	श्री बिरझूलाल मरावी	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
9	श्री जगदीश प्रसाद पटेल	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
10	सुश्री संध्या देशकर	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
11	श्री गोपाल सिंह जाटव	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
12	श्री अरविन्द्र कुमार अहिरवार	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
13	श्री हरिओम मनु	वनक्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
14	श्री राजकुमार मिश्रा	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
15	श्री चरण सिंह	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
16	श्री डी. के. एस. भदौरिया	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
17	श्री आर. एन. पटेल	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
18	श्री आर. के. सक्सेना	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि
19	श्री एस. आर. सिनोदिया	परियोजना क्षेत्रपाल	तृतीय-सामान्य विधि

गोपा पाण्डेय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग “निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)—462 011

आदेश

• भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्र. एफ. 87-185-15-ग्यारह-851.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैरसिया, जिला भोपाल, के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री नरेन्द्र शर्मा भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री नरेन्द्र शर्मा, को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर भोपाल से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 2 मई 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी

वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली दिनांक 16 मई 2015 को हुई. इस हिसाब से अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा को अपना अभ्यावेदन/जवाब दिनांक 31 मई 2015 तक प्रस्तुत करना था. किन्तु इस विहित अवधि में अभ्यर्थी श्री नरेन्द्र शर्मा द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरांत आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी पुनः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल से आयोग के ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 द्वारा चाही गई.

आयोग के उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 7 जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि—अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

जिले से उपर्युक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा सूचना-पत्र दिनांक 8 अगस्त 2015 अभ्यर्थी, श्री नरेन्द्र शर्मा को जारी कर उनके निर्वाचन व्ययों पर निर्णय लिए जाने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 8 सितम्बर 2015 को बुलाया गया. व्यक्तिगत सुनवाई में अभ्यर्थी उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा आयोग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अभ्यावेदन में इस बात का उल्लेख किया गया कि नियमानुसार मुझे 30 दिन के अन्दर लेखा दाखिल कर देना चाहिए था. उनके द्वारा श्री आनंद को लेखा निर्वाचन व्यय के हिसाब-किताब हेतु लेखा निर्वाचन एजेंट नियुक्त किया गया है, किन्तु श्री आनंद एजेंट का अचानक स्वास्थ्य खराब होने तथा उनके भाई श्री महेश शर्मा का स्वास्थ्य खराब होने से बैरसिया से बाहर चेन्नई भाई के इलाज एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण समयावधि में लेखा दाखिल नहीं कर पाया.

उपरोक्त के उपरांत अभ्यर्थी, श्री नरेन्द्र शर्मा को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना-पत्र दिनांक 15 अगस्त, 2015 जारी कर दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को उपस्थित होने हेतु कहा गया. जारी सूचना-पत्र अभ्यर्थी, श्री शर्मा को समय-पूर्व प्राप्त हो चुका था.

अभ्यर्थी, श्री नरेन्द्र शर्मा व्यक्तिगत सुनवाई तिथि दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए. सुनवाई के वक्त अभ्यर्थी श्री शर्मा द्वारा समक्ष में बताया गया कि—उनके भाई का

स्वास्थ्य खराब होने के कारण व्यय लेखे विहित समयावधि में प्रस्तुत नहीं किए गए, लेकिन व्यय लेखे विहित समयावधि में प्रस्तुत करने के संबंध में उनके द्वारा समक्ष में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी, नरेन्द्र शर्मा द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत नरेन्द्र शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, जिला भोपाल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्र. एफ. 87-185-15-ग्यारह-852.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें

यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैरसिया, जिला भोपाल, के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री विजय जाटव भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री विजय जाटव, को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार अभ्यर्थी श्री विजय जाटव द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत ही नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर भोपाल से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री विजय जाटव को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 2 मई 2015 जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री विजय जाटव को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली दिनांक 17 मई 2015 को हुई. इस हिसाब से अभ्यर्थी श्री विजय जाटव को अपना अभ्यावेदन /जवाब दिनांक 1 जून 2015 तक प्रस्तुत करना था. किन्तु विहित अवधि में अभ्यर्थी श्री जाटव द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरांत आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी पुनः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल से आयोग के ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 द्वारा चाही गई.

आयोग के उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 7 जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि—अभ्यर्थी श्री जाटव द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

जिले से उपर्युक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा सूचना-पत्र दिनांक 8 अगस्त 2015 अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव को

जारी कर उनके निर्वाचन व्ययों पर निर्णय लिए जाने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 8 सितम्बर 2015 को बुलाया गया। व्यक्तिगत सुनवाई में अभ्यर्थी, श्री जाटव उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा आयोग को अभ्यावेदन दिनांक 8 सितम्बर 2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उन्हें व्यय लेखा प्रस्तुत किए जाने हेतु सुनवाई का एक मौका और प्रदान किया जाए।

उपरोक्त के उपरांत अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना-पत्र दिनांक 15 अगस्त, 2015 जारी कर दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को उपस्थित होने हेतु कहा गया। जारी सूचना-पत्र अभ्यर्थी, श्री शर्मा को समय-पूर्व प्राप्त हो चुका था।

अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा आयोग एवं जिला स्तर पर प्रस्तुत किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी, श्री विजय जाटव द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री विजय जाटव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, जिला भोपाल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2015

क्र. एफ. 87-185-15-ग्यारह-853.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश

नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2014” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2014 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् बैरसिया, जिला भोपाल, के अध्यक्ष के आम निर्वाचन में श्री लाला राम साहू भी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 4 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 03 जनवरी 2015 तक, श्री लाला राम साहू को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2015 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट-छत्तीस के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री लाला राम साहू द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा विलंब से प्रस्तुत ही नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन कलेक्टर भोपाल से प्राप्त होने पर इस संबंध में अभ्यर्थी श्री लाला राम साहू को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 2 मई 2015 जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री लाला राम साहू को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली दिनांक 16 मई 2015 को हुई। इस हिसाब से अभ्यर्थी श्री लाला राम साहू को अपना अभ्यावेदन/जवाब दिनांक 31 मई 2015 तक प्रस्तुत करना था। किन्तु विहित अवधि में अभ्यर्थी श्री साहू द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली के उपरांत आयोग द्वारा अभ्यर्थी, श्री लाला राम साहू द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने संबंधी जानकारी पुनः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल से आयोग के ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 द्वारा चाही गई।

आयोग के उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 26 जून 2015 के संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल के आयोग को प्रेषित ज्ञापन दिनांक 7 जुलाई 2015 में प्रतिवेदित किया गया कि—अभ्यर्थी श्री लाला राम साहू द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा अभ्यावेदन उनके कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जिले से उपर्युक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा सूचना-पत्र दिनांक 8 अगस्त 2015 अभ्यर्थी, श्री लाला राम साहू को जारी कर उनके निर्वाचन व्ययों पर निर्णय लिए जाने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में दिनांक 8 सितम्बर 2015 को बुलाया गया। व्यक्तिगत सुनवाई में अभ्यर्थी, श्री साहू उपस्थित हुए एवं न ही उनके द्वारा आयोग को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त के उपरांत न्यायहित में अभ्यर्थी, श्री लाला राम साहू को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना-पत्र दिनांक 15 अगस्त, 2015 जारी कर दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को उपस्थित होने हेतु कहा गया। जारी सूचना-पत्र अभ्यर्थी, श्री साहू को समय-पूर्व प्राप्त हो चुका था।

अभ्यर्थी, श्री लाला राम साहू न ही व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 6 अक्टूबर 2015 में नहीं उपस्थित हुए और न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा आयोग एवं जिला स्तर पर प्रस्तुत किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी, श्री लाला राम साहू द्वारा नियत समयवाधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इससे आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयवाधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री लाला राम साहू को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, जिला भोपाल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, सहायक श्रमायुक्त, श्रम संभाग शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 3 नवम्बर 2015

क्र.-नवम-श्र.सं.श-2015-20.—मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 की धारा 13 की उपधारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य शासन, अधिसूचना क्रमांक एफ. 14(ई)6-98-ए-सौलह, दिनांक 11 जनवरी 2008 राजपत्र से प्रकाशित दिनांक 25 नवम्बर 2008 के अन्तर्गत प्राधिकृत मैं, श्रीमती संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी, शहडोल अपने कार्य क्षेत्र में धारा 13 की उपधारा (3-क) के अन्तर्गत निम्नानुसार स्तम्भ (1) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्र के लिये स्तम्भ (2) में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश घोषित करती हूँ, जो कि अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी।

क्र.	स्तम्भ (1)	स्तम्भ (2)
	स्थानीय क्षेत्र/नगर का नाम	साप्ताहिक अवकाश दिन धारा 13(1)
1	ब्यौहारी	शनिवार.

नगर परिषद् के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र में यह बन्द दिन प्रभावशील होगा।

श्रीमती संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी.

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड

5/41, बेतवा अपार्टमेंट, रोशनपुरा नाका, न्यू मार्केट, भोपाल
प्रारूप

कार्यालय, निर्वाचन पदाधिकारी एवं रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश
आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक
चिकित्सा बोर्ड, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2015

मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम 1973 के अन्तर्गत बनाये गये संशोधित निर्वाचन नियम 7 के पालन में घोषित निर्वाचन कार्यक्रमानुसार निम्नानुसार सूचना प्रकाशित की जा रही है कि :-

“नाम निर्देशन-पत्र निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 30 नवम्बर 2015 सायंकाल 5:30 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे.”

एस. सी. खाम्बरा, निर्वाचन पदाधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 जुलाई 2015

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . -10-पत्र क्र. 78-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	इटमा उबारी	0.704	कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग (भ./स.) सतना, म. प्र.	ललचहा, मढ़ा, खमरेही, उजनेही, हरदुआ मार्ग का मजबूतीकरण एवं उन्नतिकरण के कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . -10-पत्र क्र. 79-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	उजनेही	0.058	कार्यपालन यंत्री, लो.नि. विभाग (भ./स.) सतना, म. प्र.	ललचहा, मढ़ा, खमरेही, उजनेही, हरदुआ मार्ग का मजबूतीकरण एवं उन्नतिकरण के कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . -15-पत्र क्र. 221-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है

अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	टीकर	0.632	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, सतना.	अंधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . -15-पत्र क्र. 222-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	धनवाही	0.098	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, सतना.	अंधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . -15-पत्र क्र. 223-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	दतवार	0.626	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, सतना.	अंधियारी सागर बांध निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 2 नवम्बर 2015

प्र. क्र. 11-अ-82-2014-15-पगारा-51.—चूंकि, राज्य शासन, को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	सर्वे नं.	रकबा	(5)	(6)
गुना	गुना	पगारा	174/1/4 में से	0.052	संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर.	गुना-अशोकनगर मार्ग पर ग्राम पगारा में टोल प्लाजा निर्माण हेतु.
		प.ह.न.	180/1/ख	0.011		
		09	174/1/क 2 में से	0.021		
			179/1 में से	0.030		
			174/1/क 3 में से	0.021		
			180/1/क	0.023		
			174/1/5	0.031		
			180/1/ग	0.011		
			181/1	0.050		
			कुल योग . .	0.250		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी गुना के कार्यालय तथा संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 नवम्बर 2015

रा. प्र. क्र. 02-अ-82-2014-2015-भू-अर्जन-2015.—मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के अन्तर्गत सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, (एम.पी.आर.डी.सी.) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम-उमरेठ ब.न. 32 प.ह.न.-05/09 रा.नि.मं.-उमरेठ.	1. बुद्धो पुत्री गोंडु जाति गोंड निवासी उमरेठ-भूमि-स्वामी. 2. सोहनी पति रूखमचंद गोड निवासी उमरेठ-भूमि-स्वामी.	198/1 180/1, 180/2	0.020 0.008 0.006	सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					0.034	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. 03-अ-82-2014-2015-भू-अर्जन-2015.—मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के अन्तर्गत सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, (एम.पी.आर.डी.सी.) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम-सोनापिपरी ब.न. 591 प.ह.न.-21/14 रा.नि.मं.-उमरेठ.	1. भुवनलाल, नामदेव, सुखदेव पुत्रागण रामजी, द्रोपति वि. दिनेश शुभम, संजय पिता दिनेश, साधना, पुत्री दिनेश धनिया वि. रामजी गौतम पिता चिन्तामन, उर्मिला वि. चिन्तामन पवार निवासी सोनापिपरी-भूमि.	19/1	0.080	सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2. मु. कमलाबाई वि. फूलसिंग श्रीपाल, रामपाल, सतपाल, अमित, पुत्रगण फूलसिंग, अमिता, तारा, संगीता, पुत्रीगण फूलसिंग निवासी सोनापिपरी- भूमि-स्वामी.	36/6 39/6	0.036 0.025	
			3. रघू, अन्नूलाल, सुनील पिता बाला मु. मानवती वि. बाला, अतरो, तुलसा पिता गोधू गोंड निवासी सोनापिपरी-भूमि-स्वामी.	39/3 39/5	0.040 0.025	
			4. विपत पिता कुन्दन, ज्ञानाबाई बेवा मोती दिलीप, पप्पू पिता मोती जाति गोंड निवासी सोनापिपरी-भूमि-स्वामी.	38/1	0.058	
			5. तुलसीराम पिता गोधू मु. तुलसा पिता गोधू गोंड निवासी सोनापिपरी-भूमि- स्वामी.	39/4	0.160	
			कुल योग . .		0.424	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. 04-अ-82-2014-2015-भू-अर्जन-2015.—मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के अन्तर्गत सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, (एम.पी.आर.डी.सी.) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम-पाठा ब. न. 322 प.ह.न.-06/10 रा.नि.मं. -उमरेठ.	1. प्रीतम पिता गुलाबी जाति तेली निवासी पाठा-भूमि-स्वामी.	180/16	0.080	सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2. हरिचंद, बीरनसा पुत्र अर्जुनसा, नैनसा पिता प्रेमसा, गुरुप्रसाद, अजबलाल पुत्र सुरनसा, रामू, सहागलाल, मोहनसिंग, अशोक, पुत्रगण कलीराम जाति गोंड निवासी पाठा-भूमि स्वामी.	202	0.040	के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
			3. गुरुप्रसाद पिता सुरनसा जाति गोंड निवासी पाठा- भूमि-स्वामी.	215/1	0.020	
			4. अजबलाल पिता सुरजसा जाति गोंड निवासी पाठा- भूमि-स्वामी.	215/2	0.020	
			5. सेवकराम पिता जियन, सुरेश, दिनेश, पिता डोरीलाल, सिपती वि. डोरीलाल, शान्ता मान्ता पुत्रियां जीयन जाति मेहरा निवासी पाठा-भूमि-स्वामी.	230	0.032	
			6. हेमराज पिता श्रीचंद जाति मेहरा निवासी पाठा-भूमि-स्वामी.	231	0.024	
			7. सरब्दी, वि. हीराचंद रामप्यारी पुत्री हीराचन्द पति धनलाल जाति मेहरा निवासी पाठा-भूमिस्वामी.	232	0.020	
			8. सिकल पिता ज्ञानचन्द मेहरा जाति मेहरा निवासी पाठा- भूमिस्वामी.	233/1	0.016	
			9. सहसराम पिता ज्ञानचन्द जाति मेहरा निवासी पाठा-भूमि- स्वामी.	233/2	0.016	
			कुल योग . .		0.268	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. 05-अ-82-2014-2015-भू-अर्जन-2015.—मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के अन्तर्गत सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म. प्र. शासन, (एम.पी.आर.डी.सी.) लोक निर्माण विभाग छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
जिला	तहसील	नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम-छाबड़ीकला ब.न.-174 प.ह.न.-23 रा.नि.मं.-उमरेठ.	1. श्री गजानन्द, लाला, पुत्रगण बाबू पवार नरबदा बाई पुत्री बाबू निवासी छाबड़ीकला-भूमि-स्वामी.	67/4	0.034	सोनापिपरी-उमरेठ-मोआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण के हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
कुल योग . .					0.034	

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 अक्टूबर 2015

पत्र क्र. 2194-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—खोड़री
(घ) क्षेत्रफल लगभग —1.781 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

729	0.039
747/1, 747/2	0.078
748, 748/2, 748/3	0.283
756/1, 756/2	0.304
757	0.180
763	0.026
764	0.020
765	0.227
766/1	0.085
767	0.031
769/2, 769/3	0.144
770	0.032
771/1, 771/2	0.219
772/1, 772/2	0.007

(1)	(2)
774/1, 774/1/ख, 774/2, 774/3, 774/4	0.098
योग . .	<u>1.773</u>

ब-शासकीय भूमि की भूमि

724	0.005
726	0.003
योग . .	<u>0.008</u>
महायोग . .	<u>1.781</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2196-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—मतहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग —3.899 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

2/1, 2/2	0.446
3/1/क, 3/1/ख, 3/1/ग	0.472

(1)	(2)
7/1, 7/2	0.015
8/1	0.210
9/1, 9/2	0.035
10/1, 10/2	0.173
19/1, 19/2	0.161
20/1, 20/2	0.263
21/1, 21/2	0.220
22	0.020
108/1/क, 108/1/ख,	0.218
108/1/ग, 108/2	
110/1/क, 110/1/ख, 110/2	0.310
112/1/क, 112/1/ख,	0.031
112/1/ग, 112/2	
113	0.309
114/1/क, 114/1/ख, 114/2	0.196
117/1, 117/2	0.180
118/1, 118/2	0.141
119/1/क, 119/1/ख, 119/2	0.348
121/1/क, 121/1/ख	0.023
122/1, 122/2	0.086
126/1, 126/2, 126/3	0.039
योग . .	<u>3.896</u>
ब-शासकीय भूमि की भूमि	
111	0.003
योग . .	<u>0.003</u>
महायोग . .	<u>3.899</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—छिरहाई
(घ) क्षेत्रफल लगभग —38.739 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

624	0.021
625/1, 625/2	0.526
626	0.181
627/1, 627/2	0.732
659/1	
659/2/क	
659/2/ख	
659/1073/1	
659/1073/2	
696/1	
696/4/3	
696/4/4	
696/5	
696/2/4	
696/3	
696/4/1	0.929
696/4/2	
696/4/3	
696/2/2/क	
696/2/2/ख	
696/2/3	
696/1/घ	
696/2/1/क	
696/2/1/ख	
696/2/2/क	
696/1/ख	
696/1/ग	

पत्र क्र. 2198-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास.

(1)	(2)	(1)	(2)
699	2.623	763/1/ख	
701	0.122	763/1/ग, 763/2/1,	1.114
702	1.647	763/2/2	
703	0.024	764/1, 764/2, 764/3	0.319
704	0.061	765/1, 765/2, 765/3	0.319
705/1/1, 705/1/3, 705/1/4	1.428	766/1, 766/2, 766/3	0.252
705/2, 705/3, 705/4		767/1/क, 767/1/ख,	
706	0.609	767/1/ग, 767/2/1,	0.550
707	0.109	767/2/2	
708	0.086	768	0.650
713/1, 713/3	0.108	770	0.053
714/1, 714/2, 714/3	0.559	771/1/क, 771/1/ख, 771/2	0.495
716	0.887	774/1	0.014
717/2	0.036	784/2/ग, 784/3	0.032
718	0.757	1004/1, 1004/2	0.312
720/1, 720/3	2.065	1005/1/1, 1005/1/2,	
712, 721/2	0.15	1005/2/क, 1005/2/ख,	1.286
722	0.472	1005/1/मिन-352	
723, 723/2	0.494	1006/1, 1006/2, 1006/3	0.23
725	0.526	1007	0.045
726	0.036	1008/1, 1008/2	0.250
737/1/क, 737/2	1.401	1009	0.295
738/1	0.170	1010/1, 1010/2	0.048
739	0.267	1011/1, 1011/2	0.448
741	0.109	1012	0.053
742	0.077	1013	0.087
743/1, 743/2	0.068	1014	0.429
744/1, 744/2	0.789	1060, 1060/1, 1060/2,	0.086
757/1, 757/2, 757/3	1.153	1060/3	
758/1/क, 758/2/ख,	2.026	1061	0.081
758/3/क, 758/3/ख		1062	1.513
759	0.769	1063	0.034
760	1.008	1064/1	0.235
761	0.319		
762/1/क, 762/1/ख,			
762/2/1, 762/2/2,	0.048		
763/1/क			
		योग . . .	32.622
		ब-शासकीय भूमि की भूमि	
		762/1/ग	0.008
		696/1/क	0.522
		698	0.372

(1)	(2)	(1)	(2)
700	0.154	33	0.296
709		34/1/क, 34/1/ख,	0.190
737/1/ख	0.744	34/1/ग, 34/2	
738/2	0.028	35/1/क, 35/1/ख,	1.223
740	0.040	35/1/घ, 35/2	
784/1	4.249	48	0.241
	योग . . 6.117		योग . . 3.831
	महायोग . . 38.739		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2200-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—नौगांव नं. 3
(घ) क्षेत्रफल लगभग —3.844 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
12/1	0.181
28	0.388
29	0.020
30/1, 30/2	0.421
31/1, 31/2	0.765
32/1, 32/2	0.106

ब-शासकीय भूमि की भूमि	
10	0.006
11	0.005
12/2	0.002
	योग . . 0.013
	महायोग . . 3.844

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2202-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—बिहारगंज
(घ) क्षेत्रफल लगभग —5.649 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
138	0.139
142	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
143	0.036	306/1, 306/2, 306/491/1	
144	0.024	306/491/1, 306/491/2,	0.177
145	0.133	306/492/1, 306/492/2,	
146	0.174	306/494	
147	0.049		योग . . 5.347
152/1	0.015		
156	0.225		ब-शासकीय भूमि की भूमि
158	0.142	137	0.003
159	0.053	152/2	0.024
160	0.045	277	0.155
161	0.028	278	0.120
162	0.320		योग . . 0.302
163	0.138		महायोग . . 5.649
164	0.065		
165	0.098	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर	
166/1, 166/2	0.243	परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य	
168/1	0.170	में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित	
170	0.183	सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
171	0.404	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन	
177	0.009	एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में	
178	0.238	किया जा सकता है.	
179	0.010	पत्र क्र. 2204-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन	
184	0.127	को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद	
202	0.071	(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि	
203	0.139	सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास	
205	0.057	और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार	
266/1, 266/2, 266/3	0.528	अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया	
267	0.180	जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु	
268	0.042	आवश्यकता है :—	
274	0.007		अनुसूची
275	0.015	(1) भूमि का वर्णन—	
276	0.142	(क) जिला—सतना	
279/1, 279/2	0.148	(ख) तहसील—रामनगर	
285	0.167	(ग) ग्राम—नौगांव नं. 2	
287	0.105	(घ) क्षेत्रफल लगभग —4.855 हेक्टेयर.	
288	0.007		
289	0.097	खसरा नं.	अर्जित रकबा
290	0.017		(हेक्टेयर में)
291	0.023	(1)	(2)
303	0.034		अ-निजी पट्टे की भूमि
304	0.155	68	0.037
305/1, 305/2	0.148	69	0.219

(1)	(2)	(ग) ग्राम—जुड़मानी	(घ) क्षेत्रफल लगभग —11.293 हेक्टेयर.
70	0.429	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
71	0.029	(1)	(2)
74	0.336	अ-निजी पट्टे की भूमि	
75	0.086	47/1, 47/2	0.054
79/1	0.144	49/1, 49/2	0.089
80/1	0.072	60/1, 60/2	0.098
81	0.324	61	0.020
82/1, 82/2, 82/3	0.129	62/1, 62/2, 62/3	1.140
83	0.081	78	0.072
84	0.413	80	0.840
85	0.065	81	0.0078
86	0.269	87	0.238
87	0.351	89/1, 89/2	0.122
88	0.089	90/1, 90/2	0.144
89/1, 89/2, 89/3	1.092	108/1, 108/2	0.119
90/1, 90/2, 90/3	0.566	109	0.392
योग . . . 4.731		110/1/क, 110/1/ख,	
ब-शासकीय भूमि की भूमि		110/2/क, 110/2/ख,	0.920
76/2	0.004	110/2/ग, 110/2/घ	
80/2	0.120	111	0.050
योग . . . 0.124		112/1, 112/2, 112/3	0.337
महायोग . . . 4.855		121/1, 121/2, 121/3	0.332
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		122/2, 122/3	0.235
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		123	0.087
पत्र क्र. 2206-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		172/1, 172/2, 172/3,	0.301
		172/4, 172/5	
		173	0.010
		178/1, 178/2, 178/3,	
		178/4, 178/5, 178/6,	0.253
		178/7, 178/8	
		179	0.015
		184/1, 184/640,	0.198
		184/641, 184/657	
		185, 185/657	0.731
		186	0.050
		187	0.324
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—सतना			
(ख) तहसील—रामनगर			

(1)	(2)
191/1/क/1, 191/2/क/2 191/1/ख, 191/1/ग	0.476
265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 265/1/क, 265/1/ख	0.260
275/1, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5	0.693
282/1, 282/2	0.563
283	0.029
284	0.065
285	0.274
286	0.313
288/1, 288/2	0.41
289/1, 289/2	0.226
290	0.105
291	0.040
292/1, 292/2, 292/660	0.073
293	0.147
298	0.067
299/1, 299/2/क 299/2/ख	0.172
300	0.139
302	0.002
योग . .	<u>11.233</u>

ब-शासकीय भूमि की भूमि

184/2	0.030
191/2	0.030
योग . .	<u>0.060</u>
महायोग . .	<u>11.293</u>

पत्र क्र. 2208-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—डेगरहट
(घ) क्षेत्रफल लगभग —4.312 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

30/1/क, 30/1/ख, 30/2	0.058
44/1/क, 44/1/ख, 44/1/ग, 44/1/घ, 44/1/ङ, 44/2, 44/3	0.148
45	0.155
46/1, 46/2/क, 46/2/ख, 46/2/ग, 46/2/घ, 46/2/ङ	0.023
46/11	
47	0.020
48	0.039
49	0.012
50	0.097
51	0.008
52	0.015
55	0.233
56	0.243
57	0.239
58/1, 58/2	0.415
65	0.169
66, 67	0.047
68	0.015
69	0.023
70	0.020
71, 71/3	0.266
72	0.015

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(1)	(2)	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
102	0.027		
107	0.018		
110	0.032		
111	0.089	93	0.108
112	0.065	94	0.930
113	0.198	95	0.324
114	0.478	96	0.072
115/1, 115/2, 115/3	0.083	97	0.051
116/1, 116/2	0.191	98/1, 98/2	0.014
118	0.015	99	0.032
130	0.539	100	0.121
131	0.024	114	0.065
132	0.166	115	0.010
योग . . .	4.185	116/1	0.249
		120/1, 120/2	0.089
		121/1, 121/2	1.125
ब-शासकीय भूमि की भूमि		122	0.120
129	0.127	123	0.285
योग . . .	0.127	139	0.009
महायोग . . .	4.312	140/1, 104/2	0.052
		141, 141/1	0.409
		142/2, 142/3	0.185
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		143/1, 143/2, 143/3	0.196
		144/1/क, 144/1/ख,	1.230
		144/1/ग, 144/2	
		145/1/क, 145/1/ख,	0.607
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		145/1/ग, 145/2	
		146/1/क, 146/1/ख,	0.152
		146/1/ग, 146/2	
		147, 148, 149	0.768
		150/1, 150/2	0.049
		151/1, 151/2	0.566
		152/1, 152/2	0.092
		योग . . .	7.91
		ब-शासकीय भूमि की भूमि	
		योग . . .	0.00
		महायोग . . .	7.91

पत्र क्र. 2210-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- जिला—सतना
- तहसील—रामनगर
- ग्राम—नौगांव नं. 1
- क्षेत्रफल लगभग —7.91 हेक्टेयर.

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2212-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामनगर

(ग) ग्राम—अरगट

(घ) क्षेत्रफल लगभग —6.056 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

525/1, 525/2	0.026
526/1, 526/2,	0.094
526/3/1, 526/3/2	
527	0.465
644	0.068
645	0.424
646	0.228
648	0.007
649	0.043
651	0.089
652	0.170
653	0.031
655	0.015
659	0.133
660	0.089
662	0.348
663, 663/100	0.194
664, 664/100	0.122
665, 665/100	0.261
667	0.065
710	0.086
715	0.108
716	0.024
717	0.113

(1)	(2)
718	0.222
721	0.076
722	0.062
723	0.028
724	0.305
725	0.101
726	0.130
736	0.023
737	0.134
738	0.079
739	0.079
741/1, 741/2	0.072
742/1, 742/2	0.238
744/1, 744/2	0.105
745	0.105
746/1, 746/2	0.076
751/1, 751/2, 751/3,	0.048
751/4	
754/1, 754/2	0.081
755/1, 755/2, 755/3	0.217
758	0.051
759	0.142
762	0.373
763	0.031
764/1, 764/2	0.015
782/1, 782/2	0.016
योग . .	6.012

ब-शासकीय भूमि की भूमि

756	0.040
767	0.004
योग . .	0.044
महायोग . .	6.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किय जा सकता है.

रीवा, दिनांक 28 अक्टूबर 2015		(1)	(2)
पत्र क्र. 2232-प्रका.-भू-अर्जन-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—		18	0.366
		22/1, 22/2	0.010
		23/1/क, 23/1/ख/1,	
		23/1/ख/2, 23/1/ख/3,	
		23/1/ख/4, 23/2/1/क,	0.079
		23/2/क/1, 23/2/क/2,	
		23/2/ख, 23/2/ग, 23/2/घ	
		27/1, 27/2/क, 27/2/ख	0.838
		42/1/क, 42/1/ख, 42/1/ग,	0.216
		42/1/घ, 42/2	
		43/1/1, 43/1/2, 43/2	0.29
		44/1, 44/2	0.382
		47/1, 47/2, 47/3	0.442
		48/1, 48/2	0.028
		49	0.017
		50/1, 50/2	0.167
		51/1, 51/2, 51/3	0.164
		52	0.153
		53	0.037
		54	0.031
		55/1, 55/2	0.154
		57	0.321
		58	0.037
		59	0.004
		61/1, 61/2/1, 61/2/2,	
		61/2/3, 61/2/4, 61/3/1,	0.443
		61/3/2, 61/3/3	
		70	0.268
		71	0.036
		72	0.078
		73	0.18
		74	0.009
		75	0.004
		79/1/1, 79/1/2, 79/2	0.084
		80/1, 80/2	0.054
		81	0.040
		82	0.045
		83	0.203
		84	0.312
		85	0.035
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—सतना			
(ख) तहसील—रामनगर			
(ग) ग्राम—हिनौती			
(घ) क्षेत्रफल लगभग —20.926 हेक्टेयर.			
खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)		
अ-निजी पट्टे की भूमि			
11/1/1, 11/1/2, 11/1/3,			
11/1/4, 11/2, 11/3,	0.018		
11/4/1, 11/4/2, 11/4/3			
12/1/1, 12/1/2, 12/1/3,			
12/1/4, 12/2/1, 12/2/2,			
12/3/1/1/1, 12/3/1/1/2,	0.048		
12/3/1/3, 12/3/1/4, 12/3/2,			
12/4/1, 12/4/2, 12/4/3			
15/1/1, 15/1/2, 15/1/3,			
15/1/4, 15/2/1, 15/2/2,	0.169		
15/3/1, 15/3/1/2, 15/3/2,			
15/3/4, 15/4/2, 15/4/3			
16/1/1, 16/1/2, 16/1/3,			
16/1/4, 16/2, 16/3/1/1,			
16/3/1/2, 16/3/2, 16/3/3,	0.299		
16/3/4, 16/4/1, 16/4/2,			
16/4/3			
17/1/1, 17/1/2, 17/1/2/1,			
17/1/3, 17/1/4, 17/2,			
17/3/1/1, 17/3/1/2,	0.106		
17/3/2/1, 17/3/2/2,			
17/3/2/3, 17/4/1, 17/4/2,			
17/4/3			

(1)	(2)	(1)	(2)
89	0.421	1133, 1133/1	0.381
90	0.053	1138	0.304
91/1, 91/2	0.906	1139	0.351
120	0.352	योग . .	18.057
121	0.031		
923/1, 923/2, 923/3	0.360	ब-शासकीय भूमि की भूमि	
934/1, 934/2/1, 934/3	0.451	60	0.122
938/1	0.236	92	0.664
939/1/1, 939/2	0.227	924	0.155
940	0.069	957	0.217
941	0.113	960	0.111
942	0.095	962	0.228
943	0.095	963	0.116
945	0.602	969	0.103
946	0.075	975	0.009
947	0.062	982	0.026
956	0.177	1134	0.100
948	0.036	1135	0.188
957/2759/1/1,		1136	0.83
957/2759/1/2,	0.159	योग . .	2.869
957/2759/2		महायोग . .	20.926
958	0.407	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बहुती मुख्य नहर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
964, 964/5, 964/5/1,		(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
964/6/1, 964/6/2, 964/7,	1.797		
964/5, 964/5/1, 964/6/1,			
964/6/2, 964/7			
966, 966/1/1, 966/1/2	0.101		
968	0.213		
970/1, 970/2, 970/3,	0.818		
970/4, 970/5			
974/1, 974/2	0.048		
976	0.509		
977	0.260		
978	0.024		
979	0.105		
980	0.117		
981	0.348		
983/1, 983/2, 983/3, 983/4	0.887		
985	0.611		
986	0.014		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 26 अक्टूबर 2015

क्र.-भू-अर्जन-183(अ-82)2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अपर नर्मदा परियोजना बांध के डूब

क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिण्डौरी के कार्यालय में उपलब्ध है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात अध्ययन के छूट प्रदान की गई है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
 (ख) तहसील—बजाग
 (ग) ग्राम—शोभापुर, प. ह. नं. 198
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—215.58 हेक्टेयर
 (च) शास. भूमि—34.81 हेक्टेयर
 (छ) लगभग कुल क्षेत्रफल—250.39 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

295	0.05	577	0.28
528	0.01	578/1	1.39
544	1.82	578/2	0.40
546	0.40	579/1	0.79
547/2	0.80	579/2	0.79
547/3	0.80	579/3	0.79
548/1	0.42	580	1.85
548/2	0.60	581	0.09
548/3	0.40	582/1	0.18
548/4	0.20	582/2	0.20
548/5	0.20	582/3	0.20
549	0.80	582/4	0.02
550	1.35	583	0.46
551	1.41	584	0.12
552	0.73	586	0.48
553	1.51	587	1.24
554/1	0.41	588	0.67
554/2	0.41	595	0.32
555	0.80	596	1.09
556	1.22	597	0.12
557/1	0.81	598	0.53
557/2	0.80	621	0.26
558	0.30	653/1	0.02
		653/2	0.03
		653/3	0.03
		653/4	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
654	0.13	697/1	0.34
655/1	0.16	697/2	0.34
655/2	0.16	697/3	0.35
655/3	0.15	699	0.20
657/1	0.12	700/1	0.47
657/2	0.13	700/2	0.47
657/3	0.13	700/3	0.47
658	0.01	701	0.40
659/1	0.07	703	1.45
659/2	0.07	704	2.67
660	0.20	705/1	0.19
661	0.91	705/2	0.19
662	0.28	705/3	0.19
664	0.09	706	0.79
665	0.22	707	1.55
666	0.27	708	0.54
667	0.01	709/1	0.06
668	0.39	709/2	0.06
669	0.17	709/3	0.06
671	0.01	709/4	0.06
672	0.10	711	0.40
673	0.17	712/1	0.80
674	0.93	712/2	1.05
675	0.27	713/1	1.56
676/1	0.06	713/2	0.80
676/2	0.05	713/3	0.40
676/3	0.05	713/4	0.40
677	0.28	713/5	0.50
678	0.32	714	1.61
679	0.10	715	1.61
682	0.68	716	3.11
683	2.61	717/1	1.70
685	1.54	717/2	1.64
686	0.10	718	0.87
687	0.40	719	1.34
688	4.28	720	0.71
689	0.83	721	0.82
691/1	0.87	722/1	0.26
691/2	0.87	722/2	0.26
692	0.81	722/3	1.32
693	0.73	723	4.66
695	0.22	724	1.13
696/1	0.35	725	0.19
696/2	0.40	726/1	0.20

(1)	(2)	(1)	(2)
726/2	0.20	761/3	0.20
726/3	0.68	761/4	0.20
727	0.77	761/5	0.20
728	0.14	761/6	0.45
729	0.18	761/7	0.20
730	0.60	761/8	0.20
732	0.28	761/9	1.20
733	0.10	762/1	0.12
735	0.28	762/2	0.07
736	1.83	762/3	0.10
737	0.42	762/4	0.01
738	0.45	762/5	0.30
739/1	0.45	762/6	0.10
739/2	0.44	762/7	0.02
739/3	1.05	762/8	0.11
740	0.05	762/9	0.02
741	0.60	762/10	0.03
742	0.88	763	0.02
743	0.84	764	0.70
744	0.41	765	0.12
745	0.41	766	0.50
746/1	0.35	767	0.14
746/2	0.55	768/1	0.28
746/3	0.10	768/2	1.40
746/4	0.25	769	1.21
746/5	0.17	770	1.94
746/6	0.17	771	0.31
747	0.85	772	1.21
748	0.09	773	1.94
749	0.47	774	0.31
750	0.40	775	0.37
752	1.37	776	0.15
753/2	1.17	777	0.15
753/3क	1.20	778/1	0.05
753/3[k	1.80	778/2	0.05
754	0.53	778/3	0.05
755	1.64	779	0.19
758/1	0.40	780	0.13
758/2	0.41	781	0.13
759/1	0.40	782	0.34
759/2	0.80	784	0.23
759/3	0.40	785	0.07
759/4	0.58	786	0.10
761/1	0.20	787	0.25
761/2	0.10	788	0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
789	0.06	832/2	0.81
790	0.09	832/3	1.02
791	0.03	833/1	0.49
793	0.22	833/2	0.92
794/1	1.74	834	1.53
794/2	0.40	837	0.05
794/3	1.07	838	2.12
794/4	1.07	839	0.71
796/2	0.72	840/1	1.02
798	1.95	840/2	0.92
800	0.48	840/3	0.92
802	0.39	841	0.15
803	0.55	846	0.73
804	0.51	847	0.22
805	2.39	852	0.25
806	0.94	853	0.06
807	1.20	854/1	4.08
808/1	1.11	855	4.37
808/2	0.80	856	4.19
808/3	1.60	857	0.28
809	1.19	858	0.18
810	0.40	860	0.01
811	0.33	861	1.18
812	0.40	862	1.36
813	0.43	888	0.12
815	0.41	947/1	0.40
816	1.17	947/2	1.20
817	1.17	947/3	1.24
818	2.23	948/855	0.46
819	1.17	निजी भूमि . . .	215.58
820	1.31	शासकीय भूमि .—545, 563, 572, 573, 622, 656, 663, 670,	
821	0.40	680, 681, 684, 690, 694, 698, 702, 710, 731, 734, 751,	
822	0.40	753/1, 756, 757, 760, 783, 792, 795, 796/1, 797, 799,	
823	0.33	801, 814, 829, 830	
824	3.19		34.81
825/1	0.69	कुल भूमि . . .	250.39
825/2	0.68	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर	
826	4.05	नर्मदा परियोजना बांध निर्माण हेतु.	
827	1.11	(3) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय	
828/1	0.50	डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग	
828/2	0.50	क्र. 1, डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
828/3	0.50	(4) बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं	
828/4	0.51	पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा	
831	1.21	विकास संभाग क्र. 1, डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा	
832/1	1.01	सकता है.	

क्र.-भू-अर्जन-184 (अ-82)2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अपर नर्मदा परियोजना बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिण्डौरी के कार्यालय में उपलब्ध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात अध्ययन के छूट प्रदान की गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—बजाग

(ग) ग्राम—परसवाह, प. ह. नं. 200

(घ) लगभग क्षेत्रफल—158.34 हेक्टेयर

(च) शास. भूमि—51.70 हेक्टेयर

(छ) लगभग कुल क्षेत्रफल—210.04 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

204

0.130

206

0.210

207

0.020

208

0.280

210

0.400

212/1

0.080

212/2

0.080

213

0.600

214

0.110

215

0.130

216

0.200

217

0.690

218/1

0.400

218/2

0.190

218/3

0.020

219

0.77

221

0.010

222

0.090

223

0.130

224

0.260

(1)

(2)

225

1.040

226/1

0.190

226/2

0.190

226/3

0.190

227/1

1.010

227/2

0.400

228

0.490

229/1

0.720

229/2

0.600

230

1.670

231

0.780

232/1

0.090

232/2

0.290

233/1

0.600

233/2

0.600

233/3

2.240

234

0.570

235

1.850

236/1

4.060

236/2

0.520

237

2.900

239

0.710

240

1.100

241

2.070

242

0.730

243

0.490

244/1

1.340

244/2

0.800

245

8.700

246

1.710

247

0.190

248

0.420

249

0.720

250

0.710

251

0.200

252

1.110

254

4.440

255

0.200

256

0.610

257

0.090

258/1

0.280

258/2

0.140

258/3

0.150

259/1

0.070

(1)	(2)	(1)	(2)
259/2	0.060	303	0.750
259/3	0.140	304	1.070
259/4	0.160	305	1.010
259/5	0.070	306	1.460
261	2.800	308	0.640
262	1.340	309	0.650
263	1.000	310/1	0.320
264	1.280	310/2	0.320
265	3.820	311/1	0.790
266	3.880	311/2	0.780
270	1.210	312	0.530
272/1	1.580	313	0.530
272/2	0.400	314	0.530
273	1.040	315	0.810
274	1.850	316	1.940
278	0.800	317	0.700
279	0.350	318	0.630
281	0.290	319/1	0.670
282	0.300	319/2	1.200
283	0.300	322/1	0.790
284	0.300	322/2	0.270
285	0.220	324	0.320
286	0.230	325	0.300
287	0.360	326	0.180
288	0.100	327	0.200
290	0.880	328	0.610
291	0.200	329	0.300
292	2.740	330	0.360
293	0.650	331	0.400
294	1.510	332/1	1.840
295/1	1.200	332/2	0.800
295/2	1.200	333	0.160
296/1	1.490	334/2	0.400
296/2	0.400	335	3.660
296/3	0.400	336	0.400
297/1	0.690	337	1.460
297/2	0.700	338	1.350
297/3	0.700	341	0.450
298	1.290	342	0.230
299/1	0.680	343	0.810
299/2	0.400	344	0.250
300	1.440	345	1.180
301	1.010	346	1.160
302	0.740	347	0.970

(1)	(2)	(1)	(2)
348	0.390	471	0.020
349/1	3.000	472/1	0.110
349/2	0.560	472/2	0.110
355/1	0.220	472/3	0.110
355/2	0.030	473/1	0.080
356	1.750	473/2	0.080
357	0.630	473/3	0.080
358	0.350	474/1	0.130
359	0.070	474/2	0.050
364/1	0.400	474/3	0.040
364/2	1.780	476	0.200
364/3	1.480	477	0.180
365	1.880	478	0.120
371	0.050	479	0.200
419	0.150	482/1	1.170
420	0.030	482/2	1.010
446/1	0.080	483	0.200
450/2	0.550	490	0.440
450/3	0.400	491/1	1.130
450/5	0.080	491/2	1.400
450/6	0.800	496/1	0.070
451	0.560	496/2	0.240
452/2	0.080	496/3	0.240
452/3	0.270	496/4	0.240
453	0.660	496/5	0.250
454	0.530	497/2	0.630
455/1	0.450		
455/2	0.450		
455/3	0.450		
455/4	0.450		
455/5	0.460		
455/6	0.100		
457/2	0.030		
457/3	0.090		
465	0.060		
468/1	0.050		
468/2	0.010		
469/1	0.070		
469/2	0.070		
469/3	0.080		
470/1	0.100		
470/2	0.110		
470/3	0.110		
		निजी योग . .	<u>158.34</u>
		शासकीय भूमि.—205, 209, 211, 220, 238, 353, 260, 267, 268, 269, 271, 275, 276, 277, 280, 289, 307, 320, 321, 323, 334/1, 456, 458, 484	
			<u>51.70</u>
		कुल भूमि . .	<u>210.04</u>
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना बांध निर्माण हेतु.	
		(3) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
		(4) बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.	

क्र.-भू-अर्जन-185 (अ-82)2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अपर नर्मदा परियोजना बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिण्डौरी के कार्यालय में उपलब्ध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात अध्ययन के छूट प्रदान की गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-	(1)	(2)
	39/1	0.19
	39/2	0.25
	39/3	0.04
	41	0.28
	44	1.34
	45	1.50
	47	0.12
	48	2.60
	50	1.08
	51	1.08
	53	0.06
	54/1	0.26
	54/2	0.27
	54/3	0.27
	55/1	0.04
	55/2	0.04
	55/3	0.04
	56	0.02
	57	0.06
	60	0.05
	63	0.062
	65	1.91
	66	0.08
	67	0.63
	68	1.00
	69	0.06
	70/1	0.05
	70/2	0.33
	71	0.38
	73	2.76
	74	0.02
	75/358	0.10
	77/1	0.82
	77/2	1.63
	77/3	0.81
	78/1	0.39
	78/2	0.20
	79/1	0.15
	79/2	0.14
	80	0.29
	82/1	0.15
	82/2	0.16
	83	0.27
	84	0.03
	85	0.28

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—बजाग

(ग) ग्राम—पथरकुच्चा माल, प. ह. नं. 201

(घ) लगभग क्षेत्रफल—227.86 हेक्टेयर

(च) शास. भूमि—33.03 हेक्टेयर

(छ) लगभग कुल क्षेत्रफल—260.89 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

2

0.04

3/1

0.01

3/2

0.09

4

0.19

5

0.07

6

0.07

7

1.88

8

1.36

9/1

0.25

9/2

0.16

9/3

0.33

9/4

0.33

9/5

0.05

31

0.01

32

0.05

33

0.08

34

0.52

35

0.12

36

0.17

38/2

0.04

(1)	(2)	(1)	(2)
86/1	0.01	114/1	0.55
86/2	0.01	114/2	0.15
86/3	0.01	115/1	0.64
86/4	0.01	115/2	1.04
87	0.73	115/3	0.40
88/353	0.22	116	0.79
91/1	0.37	117	0.76
91/2	0.38	118	0.60
92	0.41	119	0.64
93/1	0.42	120	1.85
93/2	0.40	127/3	0.09
94/1	0.40	167/2	0.02
94/2	0.76	169	0.02
94/3	0.36	170/1	1.18
95/1	0.17	170/2	0.90
95/2	0.17	170/3	0.40
95/3	0.18	170/4	0.40
95/4	0.17	170/5	0.10
95/5	0.18	171	0.48
95/6	0.18	172	1.30
97/1	1.00	173	0.24
97/2	1.05	175/1	1.08
97/3	0.8	175/2	0.76
98/1	0.23	176	1.22
98/2	0.23	177	2.68
99	0.19	178/1	0.74
100/1	0.04	178/2	0.74
100/2	0.03	180	4.83
102	0.16	181/1	0.02
103	0.17	181/2	0.02
104/1	0.05	182	1.45
104/2	0.05	182/356	0.03
105	2.32	184	0.20
106	2.94	185/1	0.98
107	2.06	185/2	0.98
108	0.13	185/3	0.98
110/1	0.19	185/4	0.97
110/3	0.52	185/5	0.97
110/4	0.08	185/6	0.97
111/1	0.4	186	1.55
111/2	0.34	188	3.63
111/3	0.38	189	1.16
111/4	0.35	190	1.06
111/5	0.58	191/1	0.39
112	0.88	191/2	1.89
		191/3	0.39

(1)	(2)	(1)	(2)
191/4	0.39	232/351	0.01
192/1	0.38	234/1	0.12
192/2	0.37	234/2	0.12
192/3	0.37	235	0.06
193	2.08	236/1	0.02
194	2.19	236/2	0.03
195	1.00	237/1	0.03
196	0.90	237/2	0.03
197	0.78	238	0.05
198	1.20	239/1	0.09
199	1.41	239/2	0.1
200	3.39	241	0.16
203	0.26	242	0.07
204/1	0.30	243	0.07
204/2	0.25	244	0.04
205	0.71	245/1	0.03
206/1	0.45	245/2	0.01
206/2	0.23	246/1	0.10
207/1	0.39	246/2	0.09
207/2	0.39	248	0.05
208	0.06	251	0.19
210	0.15	253	0.12
214/1	0.95	254	0.20
214/2	0.53	255	0.22
214/3	0.18	256	0.25
214/4	0.39	258	1.07
214/5	0.40	259	1.01
215	0.13	260	1.07
216	0.24	261	0.47
217	0.10	262	1.90
218	0.08	263	1.07
219	0.44	264	1.07
221	0.14	265/1	0.40
222	0.13	265/2	0.37
222/355	0.15	265/3	0.37
223	0.01	266	2.35
224	1.88	267	0.93
225/1	0.88	268/1	0.20
225/2	0.89	268/2	0.46
226	0.22	268/3	0.46
227	0.11	269	1.02
229	0.10	270/1	0.52
230/1	0.04	270/2	1.71
230/2	0.04	271	0.92
232	0.38	272	0.89

(1)	(2)	(1)	(2)
273/1	0.56	308	2.90
273/2	0.57	309/1	0.69
273/3	0.57	309/2	0.69
273/4	0.56	310/1	0.18
274/1	1.00	310/2	0.18
274/2	0.40	311	2.27
274/3	0.40	312	0.42
274/4	0.99	313	2.86
275/1	0.44	314/1	1.39
275/2	0.44	314/2	1.39
276	0.6	315/1	1.38
277	0.7	315/2	1.39
278	0.34	316/1	0.18
279	0.84	316/2	0.50
281/1	2.05	316/3	0.59
281/2	2.05	316/4	0.5
281/3	2.05	317/1	0.55
282	0.72	317/2	0.54
283/1	0.45	318	1.67
283/2	0.45	320	0.11
283/3	0.44	321	0.09
283/4	0.45	322	0.13
283/5	0.45	323	0.14
284/1	0.81	324	0.37
284/2	0.41	325	0.35
285/1	0.40	329	0.30
285/2	0.81	329/352	0.01
286	2.56	330	0.10
287	1.80	332	0.28
288/1	0.52	334	0.05
288/2	0.53	335	0.19
288/3	0.52	336	0.23
289	1.44	337/1	0.14
292	0.54	337/2	0.04
294	4.95	338	0.19
295/1	0.03	339	0.17
296	1.53	340	1.60
297	1.3	341	1.60
298	0.81	343/1	0.42
299	1.59	343/2	0.42
300	1.31	344/1	0.84
301	1.21	344/2	0.84
302	0.30	345/1	1.71
303	0.30	345/2	1.71
304	0.41	346	1.39
305	1.19	348	1.40
306/1	2.42	349	0.31
306/2	1.23	350	1.40
307	1.43		
		निजी योग	227.86

शासकीय भूमि .—1. 40, 49, 52, 58, 59, 61, 62, 64, 72,	(1)	(2)
75, 76,81, 88, 89, 90, 96, 101, 113, 179, 183, 187, 201,	100/1	0.020
202, 209, 211, 212, 213, 213/359, 220, 228, 231, 233,	100/2	0.01
240, 247, 249, 250, 252, 257, 280, 281/357, 290, 291,	101	0.02
293, 319, 326, 327, 328, 331, 333, 342, 347,	102	0.21
	104	0.23
<u>33.03</u>	109	0.58
कुल भूमि . . <u>260.89</u>	110	0.42
	113	0.08
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना बांध निर्माण हेतु,	115/1	0.22
	115/2	0.25
(3) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.	121/1	0.61
	124	0.28
	125/1	0.33
(4) बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिण्डौरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.	125/2	0.33
	125/3	0.33
	125/4	0.33
	125/5	0.32
	125/6	0.32
क्र.-भू-अर्जन-186(अ-82)2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अपर नर्मदा परियोजना बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, डिण्डौरी के कार्यालय में उपलब्ध है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात अध्ययन के छूट प्रदान की गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	126/1	0.36
	126/2	0.31
	127	0.94
	128/1	0.45
	128/2	0.45
	128/3	0.46
	129	0.28
	131	0.16
	132	1.59
	133/1	0.82
	133/2	0.83
	134/1	0.25
	134/2	0.25
	134/3	0.25
	135/1	0.96
	135/2	0.95
(क) जिला—डिण्डौरी	135/3	0.96
(ख) तहसील—बजाग	136	1.01
(ग) ग्राम—पथरकुच्चा रैयत, प. ह. नं. 201	137	1.07
(घ) लगभग क्षेत्रफल—112.55 हेक्टेयर	138	0.54
(च) शास. भूमि—20.78 हेक्टेयर.	139	0.10
(छ) लगभग कुल क्षेत्रफल—133.33 हेक्टेयर.	140	0.03
	141	0.02
खसरा नं.	रकबा	
	(हेक्टर में)	
(1)	(2)	
84	0.05	145/2
86	0.09	146/1
		146/2
		146/3
		0.20
		0.41
		0.45

(1)	(2)	(1)	(2)
146/4	0.14	236/2	0.48
148	0.02	236/3	0.57
158/1	0.61	236/4	0.49
158/2	1.02	237/1	0.34
160/3	0.01	238	3.63
160/4	0.01	241	0.58
160/5	0.02	242	1.35
165/1	0.50	243	3.30
165/2	0.10	246/1	0.34
168	2.31	246/2	0.34
169/1	0.26	246/3	0.34
169/2	0.26	246/4	0.35
170/1	0.29	247/1	0.21
170/2	0.22	247/2	0.21
170/3	0.22	247/3	0.20
170/4	0.050	247/4	0.20
172/1	0.01	248	0.70
173/2	0.07	250	3.54
190	0.01	252/1	0.38
191	0.01	252/2	0.38
192	0.01	253	0.38
193	0.09	254	0.39
194	0.06	255	0.39
195/1	0.08	256/1	0.26
195/2	0.10	256/2	0.42
195/3	0.17	256/3	0.60
197/2	0.270	257/1	0.50
197/3	0.010	257/2	2.10
198	0.12	257/3	0.26
211	0.14	257/4	0.40
213/1	0.72	257/5	0.01
213/2	0.53	257/6	0.26
213/3	0.43	258/1	0.13
213/4	0.39	258/2	0.15
214/3	0.190	260/1	1.01
214/4	0.19	260/2	0.86
226/1	1.45	261	1.02
226/2	0.27	262	1.30
226/3	0.19	263/1	0.97
226/4	0.18	263/2	1.18
226/5	0.06	264/1	0.32
230	0.34	264/2	0.32
235	0.32	265/1	0.33
236/1	0.89	265/2	0.33
		266	0.47

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटंगी, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

क्र. 2950-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—कटंगी
(ग) ग्राम—तिरोडी, प.ह.नं. 22
(घ) क्षेत्रफल—1.702 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/3, 2/5 वृक्ष सहित	0.267
68/4	0.089
65/3, 66/2 वृक्ष सहित	0.028
2/2, 2/4, 3/2, 5/2 वृक्ष सहित.	0.154
5/1, 6/1, 7/1, 8/1 वृक्ष सहित.	0.069
5/10, 6/9, 7/9, 8/9 वृक्ष सहित.	0.121
5/9, 6/8, 7/8, 8/8	0.186
65/5, 66/4 मकान सहित	0.004
3/3, 4/2	0.004
5/8, 6/7, 7/7, 8/7 वृक्ष सहित.	0.024
68/1 वृक्ष सहित	0.101
68/2	0.016
1/1, 2/1	0.028
69 वृक्ष सहित	0.611

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, (भू-अर्जन) अधिकारी, कटंगी के न्यायालय में किया सकता है.

क्र. 02-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—कटंगी
(ग) ग्राम—पौनिया, प.ह.नं. 22
(घ) क्षेत्रफल—11.320 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
504/5, 505/2, 506/2 वृक्ष सहित.	0.231
503/1, 504/2, 507/1 वृक्ष सहित.	0.174
498/11, 499/1, 2,500/11 वृक्ष सहित.	0.057
498/8, 499/9, 500/8	0.040
504/9, 505/7, 506/7 वृक्ष सहित.	0.142
458/2 वृक्ष सहित	0.081
408/2 वृक्ष सहित	0.049
404/8, 456/6 वृक्ष सहित	0.081
404/7, 456/5 वृक्ष सहित	0.057
501/1 वृक्ष सहित	0.032
96/1	0.008
498/10, 499/11, 500/10 वृक्ष कुंआ सहित.	0.210
498/6, 499/7, 500/6 वृक्ष सहित.	0.170
498/9, 499/10, 500/9 वृक्ष सहित.	0.101
395/2, 409/2 वृक्ष सहित	0.223
497/2	0.016
498/4, 499/5, 500/4	0.077
135/2, 136/2 वृक्ष सहित	0.332
498/12, 499/13,	0.044
500/12 वृक्ष सहित.	
498/7, 499/8, 500/7	0.243

(1)	(2)	(1)	(2)
498/2, 499/3, 500/2 वृक्ष सहित.	0.125	132/4 वृक्ष सहित.	0.061
464/1, 465/2, 467/1, 478/2	0.008	135/1, 136/1	0.061
523/8	0.036	108/2, 110/2, 111/2, 112/2, 113/2, 114/4	0.397
131/12, 133/12, 137/12,	0.166	वृक्ष सहित. 98/3	0.016
138/12 वृक्ष सहित.		16/3	0.280
87/1	0.061	107/5 वृक्ष सहित	0.341
7/4 वृक्ष सहित	0.377	107/9 वृक्ष सहित	0.187
107/4	0.012	108/1, 110/1, 111/1, 112/1, 113/1, 114/1,	0.426
407/2 वृक्ष सहित	0.138	वृक्ष सहित. 498/3, 499/4, 500/3	0.425
504/8, 505/6, 506/6 वृक्ष सहित.	0.190	वृक्ष सहित. 107/3 वृक्ष सहित	0.434
504/7, 505/5, 506/5	0.085	18 वृक्ष सहित	0.004
405/2 वृक्ष सहित	0.260	142/5, 143/5, 395/6, 409/6	0.012
458/1-3	0.061	132/5 वृक्ष सहित	0.320
498/1, 499/1, 501/1 वृक्ष सहित.	0.045	107/8 वृक्ष सहित	0.016
131/15, 133/15, 137/15, 138/5 वृक्ष सहित.	0.195	142/11, 143/11, 395/12, 409/12,	0.202
15/6	0.284	वृक्ष सहित. 142/2, 143/2, 395/3, 409/3	0.114
7/1	0.121	142/12, 143/12, 395/13, 409/13	0.069
404/2, 456/1 वृक्ष सहित	0.256	142/3, 143/3, 395/4	0.012
403/1, 404/1 वृक्ष सहित	0.312	409/4 वृक्ष सहित. 142/10, 143/10,	0.061
403/4, 404/5 वृक्ष सहित	0.377	395/10, 409/11	
405/1	0.020		
407/1 वृक्ष सहित	0.455		
408/4 वृक्ष सहित	0.024		
408/1 वृक्ष सहित	0.587		
97/2, 130 वृक्ष सहित	0.547		
135/3, 136/3 वृक्ष सहित	0.283		
142/4, 143/4, 395/5, 409/5	0.117		
142/1, 143/1, 395/1, 409/1 वृक्ष सहित.	0.081		
15/1, 15/7 वृक्ष सहित	0.069 0.028		
131/20, 133/20, 137/20, 138/20, वृक्ष सहित.	0.008		
132/7	0.024		
132/6	0.061		
132/3	0.101		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, (भू-अर्जन) अधिकारी, कटंगी के न्यायालय में किया सकता है.

क्र. 03-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—कटंगी
(ग) ग्राम—अर्जुननाला, प.ह.नं. 10/1-2
(घ) क्षेत्रफल—9.369 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
281/1, 284/2 वृक्ष सहित	0.166
282/1, 284/3 वृक्ष कुआ पम्प हाउस सहित.	0.089
282/2, 284/9 वृक्ष सहित	0.166
285/2	0.121
285/1 वृक्ष सहित	0.142
286/1 वृक्ष सहित	0.040
286/2 वृक्ष सहित	0.142
287/3 वृक्ष सहित	0.016
288/3	0.085
288/5 वृक्ष सहित	0.130
288/1 वृक्ष सहित	0.085
288/4 वृक्ष सहित	0.162
340/6 वृक्ष सहित	0.113
337/3	0.129
335	0.032
336/1 वृक्ष कुआ सहित	0.101
336/5	0.182
337/1 वृक्ष सहित	0.834
337/4	0.045
372/15	0.009
372/8	0.014
372/6	0.006
373/4 वृक्ष सहित	0.207
373/5 वृक्ष सहित	0.079
376/3 वृक्ष सहित	0.198
379/2 वृक्ष सहित	0.284
565 वृक्ष सहित	0.105
566/1, 567/1	0.020
376/2	0.211
564/1 वृक्ष सहित	0.198
564/2 वृक्ष सहित	0.162
563/1	0.061
563/2	0.226
555/1 वृक्ष कुआ सहित	0.280
391/1 वृक्ष सहित	0.389

(1) (2)

555/2 वृक्ष सहित	0.259
394/2 वृक्ष सहित	0.065
392/2, 393/2	0.117
512/2 वृक्ष सहित	0.364
512/1	0.117
512/3 वृक्ष सहित	0.121
511	0.010
474/3, 476/1, 479/1, वृक्ष सहित.	0.190
480/2 वृक्ष सहित	0.053
474/8, 476/3, 479/3	0.016
474/7, 476/2, 479/2, वृक्ष सहित.	0.126
496/2	0.097
496/1 वृक्ष सहित	0.194
. .4, 341/3 वृक्ष सहित	0.150
340/3, 341/2 वृक्ष सहित	0.526
337/2	0.040
373/9	0.345
375 वृक्ष सहित	0.010
376/1	0.275
387/4 वृक्ष सहित	0.040
391/2 वृक्ष सहित	0.121
394/3 वृक्ष सहित	0.494
496/3 वृक्ष सहित	0.085
496/4 वृक्ष सहित	0.134
497, 498 वृक्ष सहित	0.191

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, (भू-अर्जन) अधिकारी, कटंगी के न्यायालय में किया सकता है.

क्र. 01-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—कटंगी
(ग) ग्राम—हीरापुर, प.ह.नं. 13
(घ) क्षेत्रफल—4.002 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
64, 66/3	0.094
62/17, 63/4	0.014
62/3 to 11 62/14, 63/1	0.466
62/18, 65/2, 66/6	0.247
283/6, 285/6,	0.085
284/3 वृक्ष सहित.	
288/2, 289/2, 297/3	0.223
282/7, 285/7, 284/4	0.089
283/3, 284/2, 285/3,	0.093
वृक्ष सहित.	
283/2, 285/2, 291/1,	0.044
वृक्ष सहित.	
283/5, 285/5,	0.077
291/3 वृक्ष सहित.	
290/2	0.028
286	0.093
288/1, 289/1, 297/1	0.041
283/8, 285/8, 284/5	0.016
290/1	0.044
287	0.121
288/6, 289/6, 288/7,	0.170
289/7 वृक्ष मकान सहित.	
288/5, 289/5	0.118
288/4, 289/4	0.106
62/1, 62/13, 65/1, 66/4	0.608
288/3, 289/3	0.182
297/8	0.061
293/2, 294/1, 296/2	0.189
297/7	0.032
293/1, 296/1	0.299
283/1, 284/1, 285/1	0.462

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, (भू-अर्जन) अधिकारी, कटंगी के न्यायालय में किया सकता है.

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—कटंगी
(ग) ग्राम—चिकमारा, प.ह.नं. 23
(घ) क्षेत्रफल—9.194 हेक्टर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
219/2	0.303
437/3	0.061
179/1 कुआ पंप हाउस सहित.	0.343
178/1 वृक्ष सहित	0.004
527/4	0.178
437/5	0.119
437/9	0.061
438/6 वृक्ष सहित	0.101
438/7 वृक्ष सहित	0.081
438/4	0.016
438/5	0.081
438/1	0.081
437/6	0.002
179/2 वृक्ष पंप हाउस सहित.	0.526
217 वृक्ष सहित	1.397
180 वृक्ष सहित	0.405
183 वृक्ष सहित	0.485
438/9 वृक्ष सहित	0.006
549	0.012
547 वृक्ष सहित	0.202
546/1 वृक्ष सहित	0.162
544 वृक्ष सहित	0.364
545	0.032
542/4	0.089
538	0.183
537	0.040
529	0.101
528/3 वृक्ष सहित	0.142
513/2 वृक्ष सहित	0.061
514 वृक्ष सहित	0.304
513/1 वृक्ष सहित	0.304

क्र. 02-अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(1)	(2)	(1)	(2)
512/1 वृक्ष सहित		79/3	0.190
512/2	0.647	79/4 वृक्ष सहित	0.020
512/3		80/3	0.020
502/2 वृक्ष सहित	0.121	80/4	0.081
500/1 वृक्ष कुआं पंप हाउस सहित.	0.287	127/1 वृक्ष सहित	0.081
500/2	0.077	127/2 वृक्ष सहित	0.141
502/1 वृक्ष सहित	0.477	128/2 वृक्ष सहित	0.250
499	0.105	128/3 वृक्ष सहित	0.385
498	0.044	128/4	0.028
497/2 वृक्ष कुआं सहित	0.348	129/1 वृक्ष सहित	0.602
439/3	0.385	129/4	0.688
439/2	0.190	129/5 वृक्ष सहित	0.141
439/1 वृक्ष सहित	0.162	129/6 वृक्ष सहित	0.072
438/10	0.012	131 वृक्ष सहित	0.485
438/8 वृक्ष सहित	0.093	132/1 वृक्ष सहित	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, (भू-अर्जन) अधिकारी, कटंगी के न्यायालय में किया सकता है.

क्र. . . -अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—कटंगी
(ग) ग्राम—चौखण्डी, प.ह.नं. 23
(घ) क्षेत्रफल—7.873 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
40/1 वृक्ष सहित	0.222
40/2 वृक्ष सहित	0.405
40/4	0.061
45/2 वृक्ष सहित	0.129
78 वृक्ष सहित	0.218

132/2 वृक्ष सहित	0.243
134 वृक्ष सहित	0.169
137 वृक्ष सहित	0.283
135	0.169
136/1 वृक्ष सहित	0.243
138	0.032
139/1 वृक्ष सहित	0.081
139/2	0.226
139/4	0.097
142/1 वृक्ष सहित	0.263
143/1	0.263
173/1	0.061
182/2 वृक्ष कुआ सहित	0.646
173/2 वृक्ष सहित	0.081
182/3 वृक्ष सहित	0.006
182/4 वृक्ष सहित	0.121
183 वृक्ष सहित	0.094
184/1 वृक्ष सहित	0.010
208 वृक्ष सहित	0.263
213 वृक्ष सहित	0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—कटंगी तिरोडी रेल मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, (भू-अर्जन) अधिकारी, कटंगी के न्यायालय में किया सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री. किरण गोपाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.